न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 70 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/177

अपीलान्ट

1. श्रीमती धन्नीदेवी पत्नी स्व. श्री प्रभुरामजी
2. सत्यप्रकाश पुत्र स्व. श्री प्रभुरामजी

दोनों जाति बावरी, निवासी करणी माता मन्दिर के पास माताभर रोड़ मकराना।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड, परबतसर
2. फुलचन्द पुत्र श्री बोदूराम जाति बावरी निवासी करणी माता मन्दिर के पास माताभर रोड़ मकराना।
3. मनीष पुत्र श्री नन्दलाल अग्रवाल, निवासी सुभाष नगर, मकराना।
4. संग्रामसिंह पुत्र श्री गंगासिंह राजपुत, निवासी मंगलाना।
5. महावीर गौड़ पुत्र श्री जेठमल गौड़, निवासी तेजा कॉलोनी मकराना।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.11.2022 जो तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रकरण संख्या 20 / 2022 अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट उनवान सरकार जरिये सहायक अभियन्ता जल संसाधन परबतसर बनाम फुलचन्द वगैरह में पारित किया

उपस्थितः–

1. श्री बलजीत सिहं वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री वी. पी. सिंह वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से।
3. श्री रणजीत बलारा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से।
4. सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड परबतसर स्वयं।

–ःनिर्णयः–

दिनांकः 03.09.2024

अपील के तथ्य संक्षेप में इस इस प्रकार है कि :–

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड, परबतसर ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार परबतसर को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 5 के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट में एक आवेदन प्रस्तुत कर उसमें लिखा कि ग्राम मंगलाना के खाता संख्या 639 कुल रकबा 1.5620 हैक्टेयर जो कि सिंचाई विभाग की खातेदारी व स्वामित्व में है, में मौका रिपोर्ट दिनांक 26.08.2022 के अनुसार अप्रार्थीगण ने अवैध रूप से कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया है जिसको हटाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 15:53:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

मौखिक रूप से एवं लिखित नोटिस देने के बावजूद निर्माण नहीं हटाया हैं प्रार्थी की खातेदारीसुदा भूमि गै. मु. नहर हैं प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही कर बेदखल किया जावें। अक्त आवेदन क्रिस दिनांक को प्रस्तुत किया गया, आवेदन पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। दिनांक 11.10.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 5 अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 फुलचन्द जिसका सही नाम फुलाराम हैं, ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 31.10.2022 को उपस्थिति दी, दिनांक 22.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब अधिवक्ता श्री प्रेमाराम जी बुगालिया ने प्रस्तुत कर दिया, उसी दिन दिनांक 22.11.2022 को योग्य अधीनस्थ अदालत तहसीलदार परबतसर ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर अप्रार्थीगण (रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 05) को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश दे दिये एवं इन आदेशों की आड़ में अपीलान्ट के खसरा संख्या 559 की उत्तरी तरफ की सम्पूर्ण पक्की दीवार व पूर्वी तरफ की करीब 26 फीट पक्की दीवार जो माह जून 1992 में बनाई गई थी, को तोड़ दिया, एवं उन्हें लाखों रूपयों का नुकसान हुआ है। उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.11.2022 के प्रकरण संख्या 20/2022 में अपीलान्ट को पक्षकार ही नहीं बनाया गया, अपीलान्ट को सूचना सूनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलान्ट के खेत की दीवार तोड़ दी गई हैं एवं इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 05 को अतिक्रमी घोषित किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 05 का खसरा संख्या 559 की भूमि में कोई हक अधिकार कब्जा नहीं हैं, नकल जमाबन्दी एवं नक्शा प्रस्तुत हैं। प्रकरण संख्या 20/2022 में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.11.2022 से अपीलान्ट व्यथित पक्षकार हैं, धारा 96 सी.पी.सी. के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत हैं। जिसके मुख्य आधार निम्नलिखित हैं :–

1. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.11.2022 को पारित करने में योग्य अधीनस्थ अदालत तहसीलदार परबतसर द्वारा तथ्य एवं विधि की भूल की गई है।
2. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.11.2022 को पारित करने से पूर्व स्वयं तहसीलदार परबतसर अथवा अपने अधीनस्थ नायब तहसीलदार/ भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का आदि के मार्फत यह जाँच ही नहीं की कि उक्त तथाकथित दीवार (जिसे अतिक्रमण बताया गया) किसकी हैं, किसने बनाई हैं एवं वहां कौन काबिज हैं, चूंकि मौके पर अपीलान्ट का कब्जा व खेत हैं एवं पक्षकार गलत बनाये गये इसीलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 05 ने अपनी उपस्थिति नही दी, अपना जवाब नहीं दिया, एक रेस्पोडेन्ट फुलाराम ने जो जवाब दिया उसने भी अपने जवाब में यही लिखा कि उसने कोई अतिक्रमण नहीं किया, योग्य अधीनस्थ अदालत ने इन तथ्यों पर गौर नहीं करने में भारी चूक की हैं, अपीलान्ट को प्राप्त जानकारी के अनुसार तथाकथित गै.मु. नहर के खसरा संख्या 560 पर काबिज अतिक्रमियों व कुछ लोगों ने सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड परबतसर के कार्यालय से मिलीभक्ति कर सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड परबतसर से गलत आवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 15:53:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

करवाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया हैं जो गलत तथ्यों पर आधारित हैं अतः काबिले निरस्त है।

3. अपीलाधीन निर्णय में सभी अप्रार्थीगण का नाम तक नहीं लिखा गया हैं, यह निर्णय विधिनुसार हैं ही नहीं, काबिले निरस्त हैं।
4. अपीलाधीन निर्णय में मंगलाना के खाता संख्या 639 की 1.5620 हैक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 05 को अतिक्रमी घोषित बताया गया है, निवेदन हैं कि खाता संख्या 639 में चार खसरे खसरा संख्या 185, 240, 560 व 599 हैं अब किस-किस खसरे में किस-किस अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को कितनी-कितनी भूमि पर अतिक्रमण हैं, अतिक्रमण की प्रकृति क्या हैं, अतिक्रमण क्षेत्र का नाप क्या हैं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के आवेदन में कुछ भी अंकित नहीं हैं, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने भी अपने आवेदन में खाता संख्या 639 की भूमि में मौका रिपोर्ट दिनांक 26.08.2022 के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर पक्का निर्माण करना ही बताया हैं, तथाकथित मौका रिपोर्ट दिनांक 26.08.2022 में किसी भी अप्रार्थी द्वारा निर्माण करने की बात अंकित ही नहीं हैं, योग्य अधीनस्थ अदालत तहसीलदर परबतसर ने उक्त तथ्यों पर भी गौर नहीं करने में भारी चूक की है। यह निर्णय विधिनुसार नहीं हैं, काबिले निरस्त है।
5. योग्य अधीनस्थ अदालत ने अप्रार्थी फुलाराम की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों पर भी गौर नहीं किया, यहां तक कि उनके जवाब में लिखे तथ्यों पर एक भी शब्द नहीं लिखा गया, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अनदेखा करने में भी भारी चूक की हैं। यह निर्णय विधिनुसार नहीं हैं, काबिले निरस्त है।
6. योग्य अधीनस्थ अदालत ने अपीलाधीन निर्णय में सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड परबतसर के प्रार्थना पत्र को टी.पी. रिपोर्ट मानने में भी चूक की हैं, उक्त प्रार्थना पत्र टी.पी. रिपोर्ट नहीं हो सकता, सहायक अभियन्ता को टी.पी. करने का अधिकार ही नहीं हैं पटवारी हल्का/भू-अभिलेख निरीक्षक/नायब तहसीलदार द्वारा जाँच नहीं करवाई गई, भूमि का नाप नहीं करवाया गया एवं स्वयं तहसीलदार परबतसर द्वारा भी मौका निरीक्षण नहीं किया गया, सहायक अभियन्ता की गलत एवं अस्पष्ट रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया हैं जो किसी भी विधि/नियम के तहत जायज नहीं है।
7. योग्य अधीनस्थ अदालत ने प्रार्थी सहायक अभियन्ता के आवेदन को बिना जाँचे, बिना साक्ष्य लिये, बनाये गये अप्रार्थीगण को भी साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना, बेदखली के आदेश दे दिये एवं निर्णय की पालना में भौतिक रूप से बेदखली हेतु स्वयं शिकायतकर्ता सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड परबतसर को ही अधिकार दे दिया एवं 7 दिवस में ही पालना करने के भी आदेश दे दिये, योग्य अधीनस्थ अदालत को उक्त कृत्य मनमाना हैं, विधि विरूद्ध हैं, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं, निर्णय की पालना में भौतिक रूप से बेदखली हेतु स्वयं शिकायतकर्ता सहायक अभियन्ता जल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 16:53:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर डीडवाना-कुचामन

जिला कलेक्टर
डीडवाना-कुचामन

संसाधन उपखण्ड परबतसर को ही अधिकार देने का आदेश दे दिये जो कि उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है।

2 चूंकि अपीलाधीन निर्णय प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध था व हैं एवं इस बात की जानकारी स्वयं सहायक अभियन्ता को थी कि उन्होंने गलत निर्णय करवा लिया हैं इसीलिये सहायक अभियन्ता स्वयं ने अपीलान्ट की दीवार नहीं तोड़कर स्वयं राजस्व विभाग व पुलिस के जाब्ते साथ लेकर अपीलान्ट की दीवार बदनियती पूर्वक व अन्य भूमाफिया लागों के इशारे पर तुड़वाई। दिनांक 13.12.2022 को स्वयं तहसीलदार परबतसर श्री फारूक अली, भु–अभिलेख निरीक्षक मंगलाना, पटवारी हल्का मंगलाना, ऑफिस कानूनगों प्रकाश चन्द, भु–अभिलेख निरीक्षक परबतसर भंवरलाल, पटवारी हल्का खोखर अणदाराम, सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता शिकरण, कनिष्ठ अभियन्ता सुनिता, कनिष्ठ अभियन्ता अजित प्रचार, वरिष्ठ सहायक हरेन्द्रसिंह, कनिष्ठ सहायक पवन कुमार,सहायक कर्मचारी नवल कुमार, मेट पोकरराम, रामचन्द्र ने पुलिस जाब्ता के साथ जेसीबी मशीन लाकर जेसीबी मशीन से अपीलान्ट के खेत की 380 फीट लम्बाई में व साढ़े छः फीट की ऊचाई में निर्मित पक्की दीवार तोड़ दी एवं कम से कम दो लाख रूपये का नुकसान कर दिया।

3 दिनांक 13.12.2022 को यह तोड़फोड़ शुरू की गई हुई तब अपीलान्ट सत्यप्रकाश तुरन्त अपने घर मकराना से मंगलाना गया तब तक अपीलान्ट के खेत की काफी दीवार तोड़ी जा चुकी थी। अपीलान्ट सत्यप्रकाश ने मौजूद सभी अधिकारियों से तोड़फोड़ करने का कारण पूछा व तोड़फोड़ तुरन्त बन्द करने को कहा तो उन्होने कहा कि न्यायालय के आदेश से तोड़ रहे है एवं जब ओदश मांगा तो उन्होने जो आदेश दिखाया वह आदेश अपीलान्ट के विरूद्ध था ही नही एवं जब अपीलान्ट ने तहसीलदार व सहायक अभियन्ता को कहा कि मेरे खेत की दीवार आप हमें सुने बिना व सही सीमा ज्ञान किये बिना क्यों तोड़ रहे हो तो अपीलान्ट को उल्टा धमकाया गया व अपीलान्ट के खेत की पूरी दीवार को तोड़ कर अपनी मशीनरी व जाब्ता लेकर वापस चले गये, यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि उक्त प्रकरण में बनाये गये अन्य किसी भी प्रार्थी का कोई निर्माण नहीं तोड़ा गया, उन्हें बेदखल नहीं किया गया तथा गै. मु. नहर में जो वास्तविक अतिक्रमी हैं उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की की गई, सम्पूर्ण कार्यवाही बदनियती पूर्वक, एक पक्षीय व गलत की गई है।

4 अपीलाधीन निर्णय की आड़ में अपीलान्ट के खेत की दीवार तोड़ने व अपीलान्ट संख्या 02 को अधिकारियों द्वारा धमकाने पर अपीलान्ट संख्या 01 भंयकर मानसिक दबाव में आ गई व बीमार हो गई गत दो–तीन दिनों में अपीलान्ट संख्या 01 की तबीयत कुछ ठीक होने पर अपीलान्ट सत्यप्रकाश दिनांक 22.12.2022 को परबतसर [illegible] हेतु गया तो उक्त पत्रावली के मुकदमा नम्बर, उनवान [illegible] उसका आवेदन नहीं लिया तब अपीलान्ट ने [illegible]रामजी से [illegible] किया तो उन्होने इस प्रकरण के बारे में जानकारी दी तब दिनांक 23.12.2022 को पुनः परबतसर जाकर आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर शाम के [illegible] बजे नकले दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 16:53:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

दिनांक 23.12.2022 को अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त होने पर इसे पढ़ने पर उक्त निर्णय की पूरी जानकारी अपीलान्ट को प्रथम बार हुई हालांकि दिनांक 13.12.2022 को निर्माण तोड़ दिया गया लेकिन उपरोक्त कारणों से नकले प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 24 व 25 दिसम्बर को अवकाश होने से अपील आज प्रस्तुत हैं, यद्यपि निर्णय की जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं फिर भी रफाये उज्जत धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन भी मय शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

5 उक्त प्रकरण का नोटिस रेस्पोडेन्ट संख्या 02 फुलाराम को प्राप्त होने पर फुलाराम ने अपीलान्ट को बताया कि मेरे विरूद्ध तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज किया हैं अतः हमारे खेतों के बीच की सीमा का सीमाज्ञान करवाना हैं अतः हमारी तरफ से सीमाज्ञान हेतु संयुक्त आवेदन करना हैं आप या तो परबतसर चलो या वकालतनामा पर हस्ताक्षर कर दो तो अपीलान्ट ने सीमाज्ञान हेतु फुलारामजी के कहे अनुसार वकालतनामा पर हस्ताक्षर कर दिये लेकिन इस प्रकरण में कोई कार्यवाही करने हेतु न तो अपीलान्ट ने किसी वकील को नियुक्त किया एवं न ही अपीलान्ट को इस प्रकरण की जानकारी ही हुई, इस प्रकरण की प्रथम बार आंशिक जानकारी दिनांक 13.12.2022 को अपीलान्ट की दीवार तोड़ने पर हुई तथा सम्पूर्ण जानकारी दिनांक 23.12.2022 को ही हुई हैं।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीलस्थ अदालत तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रकरण संख्या 20/2022 अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट उनवान सरकार जरिये सहायक अभियन्ता जल संसाधन परबतसर बनाम फुलचन्द वगै. में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की तरफ से इकबालिया जवाब पेश हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से जवाब पेश हुआ जो निम्न प्रकार है :–

1. अपील के पैरा संख्या 01 का जवाब यह हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा जिस दीवार का उल्लेख किया हैं वो भूमि जवाब पेशकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सिंचाई विभाग की खातेदारी शुदा भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी शुदा भूमि की किस्म गै.मु. नहर हैं जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि हैं एवं माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण अ0 रहमान से भी बाधित हैं जिसका न तो किसी को स्वामित्व प्राप्त हो सकता हैं तथा नही अधिकार प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति में सिंचाई विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना कानूनी एवं वैद्यानिक एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनन सही हैं एवं कानूनी प्रावधानों के तहत ही उक्त कार्यवाही की गई है। उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलार्थीगण [illegible] नहीं है। जिस प्रकार से अपीलार्थीगण ने अपनी अपील में [illegible] हैं कि तथाकथित दीवार 1992 में बनाई गई थी जो बिल्कुल भी [illegible] नहीं हैं। अपीलार्थीगण सिंचाई विभाग की भूमि पर [illegible] न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान के निर्णयों की अपीलार्थीगण [illegible] अवमानना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 15:53:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर सत्यमेव जयते डीडवाना–कुचामन

1. अपील के पद संख्या 01 मे वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने भू–राजस्व अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण अ0 रहमान के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित किया है।
2. अपील के पद संख्या 02 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत् कानूनी प्रावधानों के तहत एवं मौके पर वास्तविक एवं भौतिक रूप से सीमांकन एवं मौक पर कई बार राजस्व टीम एवं कार्यालय टीम द्वारा कानूनी रूप से मौके पर विजिट की गई तथा पत्रावली का एवं साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया जाकर निर्णय किया गया हैं तथा अन्य आरोप अपीलार्थीगण द्वारा लगाये गये मिथ्या एवं बेबुनियाद है। जिस कारण से भी उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है।
3. अपील का पैरा संख्या 03 गलत होने से अस्वीकार हैं उक्त निर्णय विधिनुसार एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण अ0 रहमान के निर्णयों की पालना अनुसार एवं भू–राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विधिनुसार किया गया है।
4. अपील का पैरा संख्या 04 गलत होने से अस्वीकार हैं। जबकि अतिक्रमण हटाने बाबत् की गई कार्यवाहियां भू–राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समय–समय पर कानूनी दिशा निर्देशों की पालना में ही सम्पादन की गई तथा अगर नहरी क्षेत्र में यदि कोई निर्माण भी कर लेता हैं तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण अ0 रहमान के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए तुरन्त ही ऐसे निर्माण को तोड़ा जाना चाहिए अन्यथा ऐसे निर्माण को कायम रखे जाने पर माननीय उच्चतम न्यायाल की अवमानना में आता है।
5. अपील का पैरा संख्या 05 मिथ्या एवं बेबुनियाद होने से अस्वीकार है।
6. अपील का पैरा संख्या 06 मिथ्या एवं बेबुनियाद होने से अस्वीकार है।
7. अपील का पैरा संख्या 07 मिथ्या एवं बेबुनियाद होने से अस्वीकार है।

2. अपील का पैरा संख्या 02 मिथ्या एवं बेबुनियाद होने से अस्वीकार है।
3. अपील का पैरा संख्या 03 मिथ्या एवं बेबुनियाद होने से अस्वीकार है।
4. अपील का पैरा संख्या 04 मिथ्या एवं बेबुनियाद होने से अस्वीकार है।
5. अपील का पैरा संख्या 05 मिथ्या एवं बेबुनियाद होने से अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियाँ :–

1. अपीलार्थीगण अगर अतिक्रमी नहीं होते तो अधीनस्थ न्यायालय में ही पक्षकार बन जाते। अपीलार्थीगण ने चालाकी पूर्वक बेबुनियाद आधार पर यह अपील बिना किसी अधिकार व बिना क्षेत्राधिकार के पेश की हैं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण अ0 रहमान के निर्णय की अवमानना की है। जिस कारण से भी उक्त अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 15:53:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

बहस उभयपक्षकारान् सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराया तथा अपील निरस्त करने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट सं0 01 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त निर्णय विधिअनुसार है तथा अपीलान्ट ने नहरी जमीन पर अतिक्रमण किया है जिसे विधि अनुरूप ही हटाया गया है अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस को सुना गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रश्नगत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2022 में खाता सं0 639 पर कब्जा होना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध 91 की रिपोर्ट जो कि सहायक अभियन्ता जल संसाधन परबतसर द्वारा तहसीलदार परबतसर को प्रस्तुत की गई थी। उक्त रिपोर्ट में भी मात्र खाता सं0 639 का उल्लेख किया गया। किस खसरे पर अतिक्रमण है इस बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण की जांच किसके द्वारा कराई गई, अतिक्रमण किस प्रकार सिद्ध हुआ ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में धन्नी देवी व सत्यनारायण को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। धन्नी देवी व सत्यनारायण को किसी प्रकार का नोटिस देने का उल्लेख नहीं है न ही धन्नी देवी व सत्यनारायण का पक्षकार के रूप में नाम है जबकि इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के जवाब में सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग परबतसर द्वारा जवाब के पैरा संख्या 01 में धन्नी देवी व सत्यनारायण का अतिक्रमी बताया है तथा उसके द्वारा ही दिवार बनाये जाने का कथन किया है तथा उस दिवार को हटाया जाना विधिवत बताया है। उक्त दोनों तथ्य विरोधाभाषी है। क्योंकि यदि धन्नी देवी व सत्यनारायण अतिक्रमी थे तो उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में महावीर गौड, मनीष पुत्र नन्दलाल एवं फुलचन्द पुत्र लादुराम को नोटिस जारी करना स्पष्ट है। यद्यपि निर्णय में मात्र फुलचन्द का ही उल्लेख है। फुलचन्द द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली में उपलब्ध है। उक्त जवाब में फुलचन्द द्वारा उसका कब्जा उसके द्वारा खरीद की गई भुमि पर ही होने का उल्लेख किया था तथा सीमाकंन का भी निवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस जवाब का कोई विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 15.11.2022 को अप्रार्थीगणों को जवाब हेतु समय दिया गया, परन्तु उसके पश्चात अग्रिम तारीख पेशी दिनांक 22.11.2022 को निर्णय सुना दिया गया। पत्रावली में जवाब का अवसर बन्द किया गया अथवा अप्रार्थीगणों को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया गया इस बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण बाबत पूर्ण जांच नहीं की गई। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 15:53:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

नहीं दिया गया तथा अप्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत जवाब की विवेचना पूर्णतया नहीं की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का मुकदमा नम्बर 20/2022 उनवान सहायक अभियन्ता बनाम फुलचन्द निर्णय दिनांक 22.11.2022 को निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सिंचाई विभाग के खसरें एवं अपीलांट के खसरों का सीमाकंन कर तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक **03.09.2024** को सुनाया गया।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

23/9/24

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 16:53:15 IST
Reason: SelfAttested